



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267533
CG-DL-E-10112025-267533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4915]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947

No. 4915]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2025

का.आ. 5070(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2773(अ) दिनांक 20/06/2025, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 23/06/2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में MWD#24 से MWD#21 तक MWD#15, 02, 25, 20 & 03 से होते हुवे ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के मेवड़ - गांव, तहसील - मेहसाणा एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 26/06/2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइप लाइन फॉर MWD#24 से MWD#21 तक MWD#15,02,25,20 & 03 से होते हुवे

तालुका:- मेहसाणा

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लोक न.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	मेवड़	385		00	12	20
2		550		00	01	30
3		327		00	17	85
4		328		00	18	20
5		329		00	18	75
6		330		00	18	15
7		331		00	27	00
8		558		00	02	65
9		282		00	02	35
10		283		00	13	75
11		334		00	02	85
12		333		00	17	90
13		340		00	09	45
14		339		00	13	30
15		342		00	08	05
16		332		00	11	35
17		276		00	06	80
18		275		00	06	60
19		274		00	06	25
20		273		00	15	75
21		270		00	15	50
22		269		00	03	10
23		548		00	00	50
24		258		00	08	25

25		237		00	12	20
26		148		00	01	50
27		149		00	46	75
28		150		00	09	25
29		151		00	01	80
30		546		00	02	90
31		205		00	29	00
32		210		00	15	60
33		209		00	12	25
34		208		00	12	15
35	मेवड़	544		00	01	25
36		144	उत्तर दिशा-2330 दक्षिण दिशा-2370	00	47	00
37		143		00	04	80
38		98		00	16	40
39		95		00	03	70
40		80		00	10	80
41		83		00	12	75
42		84		00	14	50
43		86		00	15	75
44		87		00	24	85
45		88		00	26	25
46		542		00	06	00
47		48		00	05	15
48		5		00	23	10
			कुल क्षेत्रफल	06-13-55		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/25/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी (ई-53191)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2025

S.O. 5070(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2773(E) Dated 20/06/2025 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 23/06/2025, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from MWD#24 TO MWD#21 VIA MWD#15,02,25,20 & 03 in MEVAD village, Taluka Mehsana & District Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 26/06/2025.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPE LINE FOR DRILL SITE MWD#24 TO MWD#21 VIA MWD#15,02,25,20 & 03

TALUKA:-MEHSANA

DISTRICT:-MEHSANA

STATE:-GUJARAT

Name of village		Survey No./Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Mevad	385		00	12	20
2		550		00	01	30
3		327		00	17	85
4		328		00	18	20
5		329		00	18	75
6		330		00	18	15
7		331		00	27	00
8		558		00	02	65
9		282		00	02	35
10		283		00	13	75
11		334		00	02	85
12		333		00	17	90
13		340		00	09	45
14		339		00	13	30
15		342		00	08	05
16		332		00	11	35
17		276		00	06	80
18		275		00	06	60
19		274		00	06	25
20		273		00	15	75
21		270		00	15	50

22		269		00	03	10
23		548		00	00	50
24		258		00	08	25
25		237		00	12	20
26		148		00	01	50
27		149		00	46	75
28		150		00	09	25
29		151		00	01	80
30		546		00	02	90
31		205		00	29	00
32		210		00	15	60
33		209		00	12	25
34		208		00	12	15
35		544		00	01	25
36	Mevad	144	North Part-2330 South Part-2370	00	47	00
37		143		00	04	80
38		98		00	16	40
39		95		00	03	70
40		80		00	10	80
41		83		00	12	75
42		84		00	14	50
43		86		00	15	75
44		87		00	24	85
45		88		00	26	25
46		542		00	06	00
47		48		00	05	15
48		5		00	23	10
			Total Area	06-13-55		

[F. No. Expl-13011(26)/25/2025-EXPL-PNG (E-53191)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.